

**\*थाना बिलरियागंज\***

**\*अवैध असलहा-कारतूस बिक्री व निर्माण करके सप्लाई करने में प्रकाश में आये काजी गनहाउस का 50 हजार रूपये इनाम घोषित संचालक गिरफ्तार\***

**\*संक्षिप्त विवरण-\***

एटीएस उ0प्र0, लखनऊ की सहयोगी एजेन्सी से जनपदीय पुलिस को आसूचना प्राप्त हुई कि बिलारियागंज जनपद आजमगढ़ के दो व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ मिल कर अवैध शस्त्रों व अवैध कारतूसों की तस्करी और निर्माण में संलिप्त है। उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक सर्विलांस एवं भौतिक पतारसी-सुरागरसी से विकसित किया गया तो ज्ञात हुआ कि अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज, जनपद आजमगढ़ जो प्रतिबन्धित कारतूसों और अवैध शस्त्रों की तस्करी में संलिप्त है तथा दूसरे व्यक्ति का नाम मैनुद्दीन शेख पुत्र सम्मू अहमद नि0 ग्राम व पोस्ट पतिला गौसपुर थाना बिलारियागंज जनपद आजमगढ़ जो अवैध शस्त्रों के निर्माण गन हाउसों से अवैध रूप से कारतूस प्राप्त कर उसकी गैर कानूनी ढंग से बिक्री किये जाने की बात प्रकाश में आयी थी।

जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 235/2022 धारा 3/4/5/7/25/25(1)(1)/25(4)/25(5)/26(1)/26(2)/35 शस्त्र अधिनियम बनाम (1) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज, जनपद आजमगढ़ (2) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिलागौसपुर बिलरियागंज (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ व मु0अ0सं0 236/2022 धारा 3/4/5/7/25/25(1)(1)/25(4)/25(5)/26(1)/26(2)/35 आयुध अधिनियम बनाम (1) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ (2) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज, जनपद आजमगढ़ (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) सैयद काजी अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है।

जिसमें अभियुक्तगण अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज, जनपद आजमगढ़ व मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दिनांक 28.10.2022 को गिरफ्तार किया गया था ।

**\*गिरफ्तारी का विवरण:-\***

दिनांक 20.11.2022 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज व निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान ,ताहिर खान, एटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ता आजमगढ़ को मुखबीर से सूचना मिली कि पुरस्कार घोषित अभियुक्त काजी मोहम्मद अरशद पुत्र स्व0 काजी मोहम्मद अब्दुल वाफी किसी काम से आजमगढ़ की तरफ आ रहा है जो वर्तमान में मंदूरी तिराहे पर साधन के इन्तजार में खड़ा है।

इस सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के विवेचक SSI संजय कुमार सिंह थाना सिधारी को सूचना से अवगत कराते हुए मंदूरी तिराहे के पास पहुंचने हेतु बताया गया जिसपर ATS टीम व विवेचक संजय कुमार द्वारा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मुखबीर की निशानदेही पर तिराहे पर खड़े व्यक्ति को घेरकर पकड़ लिया गया जिसकी पहचान काजी मोहम्मद अरशद पुत्र स्व0 काजी मोहम्मद अब्दुल वाफी निवासी आसिफगंज पाण्डेयपुर बाजार रोड थाना कोतवाली आजमगढ़ के रूप में हुयी।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त -\***

1.काजी मोहम्मद अरशद पुत्र स्व0 काजी मोहम्मद अब्दुल वाफी निवासी आसिफगंज पाण्डेयपुर बाजार रोड थाना कोतवाली आजमगढ़

**\*अपराधिक इतिहास\***

1.मु0अ0सं0 235,2022 धारा 3,4,5,7,25,25(1)(1),25(4),25(5),26(1),26(2),35 शस्त्र अधिनियम बनाम (1) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ़ (2) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्म् अहमद निवासी ग्राम पतिलागौसपुर बिलरियागंज (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ ।

2.मु0अ0सं0 236,2022 धारा 3,5,7,25,25(1)क,25(4),25(5),26(1),26(2),35 आयुध अधिनियम बनाम (1) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्म् अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ (2) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ़ (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) सैयद काजी अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ ।

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम\***

1.निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान मय हमराह हमराह मु0आ0 ताहिर खान आ0योगेन्द्र चैहान,का0 मनीष कुमार सिंह,का0 राजीव सिंह यादव,का0 धीरेन्द्र कुमार सिंह,का0 सदानन्द यादव एटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ता आजमगढ़ ।

2.व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना सिधारी मय हमराह जनपद आजमगढ़।